# स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के अनुरूप निर्मित और 2021–22 से लागू नवीन स्नातक पाठ्यक्रम चयन आधारित क्रेडिट पद्धति पर सेमेस्टर व्यवस्था के अनुसार तैयार किया गया है जो कुल मिलाकर तीन वर्ष (छह सेमेस्टर) का होगा। इसकी मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

1. यह पाठ्यक्रम वार्षिक आधार पर नहीं, अपितु सेमेस्टर पद्धति के अनुसार संचालित होगा।

2. एक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे, जिनमें से सामान्यतः विषम सेमेस्टर अर्थात प्रथम, तृतीय तथा पंचम सेमेस्टर की समयावधि जुलाई से दिसम्बर तथा सम सेमेस्टर यानि द्वितीय, चतुर्थ तथा षष्ठ सेमेस्टर की अवधि जनवरी से जून रहेगी।

3. प्रत्येक सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के बाद विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा तथा हर सेमेस्टर के अन्त में परीक्षा होगी।

4. सामान्यतः विषम सेमेस्टर से सम सेमेस्टर में अर्थात् प्रथम से द्वितीय, तृतीय से चतुर्थ तथा पंचम से षष्ठ समेस्टर में विद्यार्थी को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण (किसी भी दशा में) होने पर प्रोन्नत किया जायेगा, परन्तु सम से विषम सेमेस्टर अर्थात् द्वितीय से तृतीय तथा चतुर्थ से पंचम सेमेस्टर में प्रोन्नत होने के लिये विद्यार्थी को उस वर्ष के दोनों सेमेस्टर के लिये निर्धारित कुल क्रेडिट में से कम से कम आधे क्रेडिट अर्जित करने होंगे। ध्यातव्य है कि उक्त आधे क्रेडिट मुख्य विषयों में भी अर्जित करने आवश्यक होंगे। उदाहरण के लिये एक विद्यार्थी यदि प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे द्वितीय सेमेस्टर में जाने से नहीं रोका जायेगा। परन्तु द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के पश्चात् तृतीय सेमेस्टर (स्नातक द्वितीय वर्ष) में उसे प्रवेश तभी मिलेगा, जबकि उसने प्रथम एवं द्वितीय दोनों सेमेस्टर को मिलाकर कुल निर्धारित 46 क्रेडिट में से कम से कम 23 प्राप्त किये हों और इन 23 में से भी न्यूनतम 18 क्रेडिट मुख्य विषयों के प्रश्नपत्र उत्तीर्ण कर प्राप्त किये हों।

5. जिस किसी भी सेमेस्टर में विद्यार्थी एक या अनेक प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण होंगे, उनके लिये अलग से परीक्षा नहीं करायी जायेगी, बल्कि उन्हें उसी सेमस्टर की अगले वर्ष होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण करने का अवसर दिया जायेगा। उक्त के लिये विद्यार्थी को यह ध्यान रखना होगा कि वह किसी सेमेस्टर के सभी प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण न हों, अन्यथा उसे यह अवसर नहीं दिया जायेगा, क्योंकि दो पूर्ण सेमेस्टर की परीक्षा एक साथ देने की उसे अनुमति नहीं होगी।

6. प्रत्येक वर्ष के अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण होने के लिये विद्यार्थी को अधिकतम तीन वर्ष अर्थात् दो प्रयास करने का ही अवसर मिलेगा और अन्तिम रूप से बी.ए. की उपाधि प्राप्त करने

के लिये उसे प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्नपत्र को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

7. यदि कोई विद्यार्थी स्नातक प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर की परीक्षाएँ स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण कर लेता है और आगे पढाई जारी रखने में असमर्थ रहता है तो माँगने पर उसे 'सर्टिफिकेट' प्रदान किया जायेगा और यही स्थिति द्वितीय वर्ष के पश्चात् उत्पन्न होने पर 'डिप्लोमा' प्रदान किया जायेगा। तीनों वर्षों की समस्त परीक्षाएँ स्पष्ट रूप से उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही विद्यार्थी को स्नातक की उपाधि प्रदान की जायेगी।

## पाठ्यक्रम एवं विषय चयन :

समस्त विषयों के स्नातक पाठ्यक्रम के प्रमुखतः चार भाग हैं–

1. मुख्य विषय (Major Subject)
2. गौण विषय (Minor Elective Subject)
3. पाठ्य–सहगामी विषय (Co-Curricular Subject)
4. व्यावसायिक/कौशलपरक विषय (Vocational/Skill based Subject)

## मुख्य विषय (Major Subject) :

स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक विद्यार्थियों को तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा।

1. विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ही प्रवेश के दौरान इन विषयों का चयन करेगा।
2. इन तीन विषयों में से किन्हीं दो विषयों का चयन विद्यार्थी को एक ही संकाय से करना होगा। यह विद्यार्थी का अपना संकाय कहलायेगा।
3. तीसरा विषय वह चाहे तो उसी संकाय से और चाहे तो दूसरे संकाय से कर सकता है,
4. तृतीय वर्ष में (पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर) में विद्यार्थी को एक विषय छोड़ना होगा और वह मात्र दो ही विषयों का अध्ययन करेगा।
5. प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर (स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) तक विद्यार्थी को प्रत्येक मुख्य विषय के एक–एक प्रश्नपत्र की ही परीक्षा होगी और तदनुसार पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा, परन्तु तृतीय वर्ष में लिये गये दोनों विषयों का पाठ्यक्रम दो भागों में होगा और उसी के अनुसार उन्हें प्रत्येक सेमेस्टर (पंचम एवं षष्ठ) में दो–दो प्रश्नपत्रों की परीक्षा देनी होगी।

6. प्रयोगात्मक विषयों का अलग प्रयोगात्मक प्रश्नपत्र अलग नहीं होगा, उसी पाठ्यक्रम का भाग होगा। इसके लिये कुल पूर्णांक 100 में से 25 अंक निर्धारित किये गये हैं।
7. प्रत्येक विषय का प्रत्येक सेमेस्टर का पाठ्यक्रम 6–6 क्रेडिट का होगा।

## 2. गौण विषय (Minor Subject) :

1. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों में एक–एक गौण विषय का अध्ययन करना होगा।
2. इस पाठ्यक्रम का अध्ययन उन्हें प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में करना होगा।
3. गौण विषय विद्यार्थी द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों से अलग होगा।
4. गौण विषय विद्यार्थी अपने संकाय से अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है, परन्तु उसे यह ध्यान रखना होगा कि यदि उसने अपने तीनों मुख्य विषय एक ही संकाय से लिये हैं तो गौण विषय अनिवार्यतः उसे अपने से इतर अन्य संकाय से लेना होगा।
5. गौण विषय के दोनों प्रश्नपत्र 4–4 क्रेडिट के होंगे। इस प्रकार विद्यार्थी इनसे कुल 8 क्रेडिट अर्जित करेंगे।

## पाठ्य–सहगामी विषय (Co-Curricular Subject) :

1. प्रत्येक विषय के प्रत्येक विद्यार्थी को स्नातक के छहो सेमेस्टर (प्रथम से षष्ठ तक) मे एक–एक पाठ्य–सहगामी विषय का अध्ययन करना होगा।
2. पाठ्य सहगामी पाठ्यक्रम के सभी छह विषयों का पाठ्यक्रम सुनिश्चित है जो तालिका में दर्शाया भी गया है।
3. पाठ्य–सहगामी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं होंगे, परन्तु स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिये इन सभी प्रश्नपत्रों को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
4. इस पाठ्यक्रम के प्रत्येक प्रश्नपत्र को उत्तीर्ण करने के लिये विद्यार्थी को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

## व्यावसायिक/कौशलपरक विषय (Vocational/Skill based Subject) :

1. विद्यार्थियों को स्नातक के प्रथम दो वर्षों अर्थात् प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक प्रति सेमेस्टर कोई एक व्यवसायिक विषय भी लेना होगा।
2. व्यवसायिक विषय संस्थान में उपलब्ध कराये गये विषयों में से ही लेना होगा।
3. उक्त पाठ्यक्रम प्रति सेमेस्टर तीन क्रेडिट का होगा। इस तरह इस पाठ्यक्रम से कुल बारह क्रेडिट विद्यार्थी अर्जित करेंगे।

## क्रेडिट :

1. प्रति सेमेस्टर प्रत्येक मुख्य विषय के प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिये 6–6 क्रेडिट निर्धारित हैं।
2. गौण विषय के दोनों पाठ्यक्रम 4–4 क्रेडिट के होंगे।
3. व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिये प्रति सेमेस्टर तीन क्रेडिट तय किये गये हैं।
4. पाठ्य–सहगामी प्रश्नपत्रों के लिये कोई क्रेडिट निर्धारित नही हैं, परन्तु इनमें उत्तीर्ण होने के लिये 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिये निर्धारित क्रेडिट उस प्रश्नपत्र को उत्तीर्ण करने पर ही प्राप्त होंगे। न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत (33%) प्राप्त न करने पर विद्यार्थी को उस प्रश्नपत्र के लिये कोई क्रेडिट नहीं प्राप्त होगा।

## परीक्षा एवं अंक निर्धारण :

1. प्रत्येक सेमेस्टर के अन्त में विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय–सारणी के अनुसार सभी विषयों की मुख्य परीक्षा होगी।
2. प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिये 100 पूर्णांक निर्धारित हैं, चाहे वह कितने ही क्रेडिट का हो अथवा क्रेडिटरहित (अर्हतापरक) हो।
3. प्रश्नपत्रों के लिये निर्धारित 100 पूर्णांकों में से गैर प्रयोगात्मक विषयों में 75 अंकों के लिये मुख्य परीक्षा होगी और शेष 25 अंक आन्तरिक परीक्षा के आधार पर दिये जायेंगे।
4. प्रयोगात्मक विषयों में प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिये निर्धारित 100 पूर्णांकों में से 25 अंक प्रयोगात्मक परीक्षा के लिये (जिन भी प्रश्नपत्रों में हो) तथा 25 अंक आन्तरिक परीक्षा के लिये निर्धारित हैं। इस तरह ऐसे विषयों की मुख्य परीक्षा 50 अंकों के लिये होगी। ऐसे प्रश्नपत्रों में लिखित परीक्षा के आधार पर 4 क्रेडिट तथा प्रयोंगात्मक परीक्षा के आधार पर 2 क्रेडिट प्राप्त होंगे।
5. मुख्य परीक्षा में कुल नौ प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को देने होंगे। साहित्य तथा कुछ अन्य विषयों के प्रश्नपत्रों को छोड़कर सामान्यतः शेष सभी विषयों के प्रश्नपत्रों में प्रत्येक प्रश्न के लिये समान अंक (75 पूर्णांक वाले प्रश्नपत्र में 15x5 तथा 50 पूर्णांक वाले प्रश्नपत्र में 10x5) निर्धारित रहेंगे।
6. आन्तरिक परीक्षा के लिये निर्धारित 25 अंकों में से 10 अंकों के लिये विभाग द्वारा लिखित परीक्षा (टेस्ट) ली जायेगी और 10 अंकों के लिये प्रदत्त कार्य (असाइनमेंट) कराया जायेगा। 5 अंक विद्यार्थी को उसकी कक्षा में उपस्थिति, सक्रियता तथा अच्छे आचरण के आधार पर दिये जायेंगे।